

43-110/2005-एलडीटी(पी)
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
पोल्ट्रीयूनिट

कृषिभवन , नईदिल्ली

दिनांक: 18.06.2019

विषय :: सूचनाका अधिकार अधिनियम 2005, के तहत जानकारी

महोदय,

ऑनलाइन पंजीकरण (पंजीकरण संख्या। DOAHD/R/2019/50118/1 दिनांक 28/05/2019) का संदर्भ लेते हुए अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना देना चाहेंगे :

- जहां तक पशुपालन और दुग्ध विभाग का कुक्कुट इकाई का संबंध है यह कहा जा सकता है कि एनएलएम योजना के तहत उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन एक घटक है जिसमें ऋण सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। यह EDEG योजना नाबार्ड द्वारा विभिन्न बैंकों के माध्यम से नोडल एजेंसी के रूप में लागू की गई है। परियोजना की मंजूरी के लिए आवेदक बैंकों को आवेदन करेंगे। बैंक अपने मानदंडों के अनुसार परियोजना का मूल्यांकन करेंगे और यदि उपयुक्त पाया जाता है, तो बैंक मार्जिन राशि को छोड़कर बैंक ऋण के रूप में परियोजना लागत के कुल परिव्यय को मंजूरी देगा। इकाई की प्रगति के आधार पर उपयुक्त किशतों में ऋण राशि का वितरण किया जाता है। ऋण की पहली किस्त के वितरण के बाद, बैंक सब्सिडी जारी करने के लिए नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन करेगा।
- इसलिए, आपसे अनुरोध है कि जानकारी के लिए संबंधित बैंक, क्षेत्रीय नाबार्ड कार्यालय या राज्य सरकार के पशुपालन विभाग से संपर्क करें।
- अपीलीय प्राधिकारी का नाम डॉ. एस. के. दत्ता, उपायुक्त(पी), कमरा No.334-A, कृषि भवन, नई दिल्ली 110001-, Phone: 011-23389206 है।

(डॉ एस. पी. साहू)

जनसूचना अधिकारी (पोल्ट्री यूनिट)

Dr. SARADA PRASANNA SAHOO
Livestock Officer
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
D/o of Animal Husbandry And Dairying
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

Copy to:-

- S.O. (RTI), Department of Animal Husbandry & Dairy, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Government of India, Krishi Bhawan.
- System Analyst, NIC, DADF with kind request to upload this reply on Department's Website along with the enclosed application.